

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी

श्रीराम पुत्र मुरलीमनोहर  
निवासी-घाटवा, तहरील-कुचामन  
किरम प्रकरण : वाद पत्र

बनाम

प्रतिवादीगण  
अन्तारकवंर पुत्री उगमकवंर  
निवासी-घाटवा तहरील नावां  
संख्या : 193/ 2025

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुये।
30.07.2025	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत पेश किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 20.08.2025 को पेश हो।</p> <p>(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>20/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p> <p>17/10/25 पत्रावली पेश हुई और एप्लोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्लवा होकर दिनांक 11/12/25 को पेश हो।</p> <p>11/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 30/11/26 को पेश हो।</p> <p>30/11/26 वकील वादी-मैर हाजिर। सहरण को अपलोडन किया सहरण में वक्षाराम की लकी लकी की गरी ना ही वकील वादी इप्लोशियेशन हो रहे। अतः सहरण में वकील वादी को दायरे लगाई गयी बापजूद ज्यना हाफ फिली व सहरण में लकी नही आये पर सहरण ठासप हापरीन पैरी में खरिज किया जाला है मिसल अपने गम्बर क्म शेक डाबिल रफ्तार है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	